Hindi Version

उद्यम पंजीकरण के लाभ

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), दिनांकित 26 जून, 2020 के तहत एक समेकित मानदंड अधिसूचित किया है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और कारोबार दोनों का मानदंडों के रूप में शामिल किया गया है जो 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा का अनुपालन करने तथा व्यापार करने की सुगमता के उद्देश्य से यह प्रणाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए स्थायी पंजीकरण अर्थात 'उद्यम पंजीकरण' की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगी।

मुख्य विशेषताएं:

- कोई भी उद्यम के लिए उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। इसे https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm पोर्टल के जरिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया डिजिटलीकृत तथा कागज रहित है। किसी भी दस्तावेज अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया नि:शुल्क है। इसके लिए किसी को कोई लागत या शुल्क का भुगतान नहीं करना है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" नामक ई-प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- इस प्रमाण-पत्र का एक डायनेमिक क्यूआर कोड होता है जिसकी सहायता से हमारे पोर्टल पर उपलब्ध वेब पेज तथा उद्यम के बारे में मौजूद जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- जो कोई जान-बूझकर उद्यम पंजीकरण में दिए गए स्व-घोषित तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास करता है या अद्यतन प्रक्रिया में गलत जानकारी देता है, अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी होगा।
- ऑनलाइन प्रणाली आय कर तथा सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्रणालियों के साथ पूर्णतया एकीकृत है, उद्यमों के निवेश और उनके कारोबार से संबंधित ब्यौरे सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाते हैं। निर्यात को कारोबार के परिगणन के भाग के रूप में विचार नहीं किया जाता है।

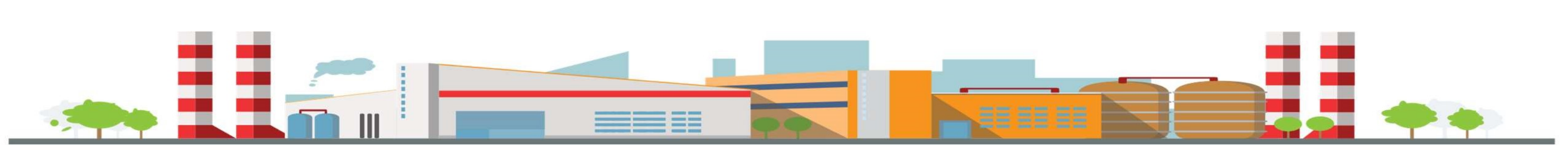

- ऐसे उद्यम जिनके पास ईएम-II या यूएएम पंजीकरण या एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य पंजीकरण है, उन्हें दिनांक 31.03.2021 से पूर्व स्वयं को पुन: पंजीकृत करना होगा।
- कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण दायर नहीं करेगा। तथापि, विनिर्माण अथवा सेवा या दोनों से जुड़े किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनिर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक:

- केवल आधार संख्या पंजीकरण के लिए पर्याप्त है।
- दिनांक 01.04.2021 से पैन और जीएसटी संख्या का होना अनिवार्य है।

इस पंजीकरण के लाभ

- यह एक स्थायी पंजीकरण होगा तथा यह किसी उद्यम की आधारभूत पहचान होगा।
- एमएसएमई पंजीकरण कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है।
- पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विनिर्माण या सेवा अथवा दोनों से जुड़े किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण के साथ उद्यम स्वयं को जेम (सरकारी ई-बाजार क्षेत्र, जी से बी के लिए एक पोर्टल) तथा समाधान पोर्टल (भुगतान में विलंब से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक पोर्टल) पर पंजीकृत कर सकते हैं तथा साथ ही साथ एमएसएमई तीन उपलब्ध प्लेटफॉर्मों अर्थात 1. www.invoicemart.com 2. www.m1exchange.com 3. www.rxil.in स्वयं को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म (प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के इन्वाइस का इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया जाता है) पर भी सम्मिलित कर सकते हैं।
- उद्यम पंजीकरण एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त बढ़त और विलंबित भुगतानों के खिलाफ सुरक्षा आदि का लाभ उठाने में भी एमएसएमई की सहायता कर सकता है।
- बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के लिए पात्र बनाता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने (पीएसएल) के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/एफआईडीडी/2020-21/72 मास्टर डायरेक्शन एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर, 2020

द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्रेणियां हैं (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम (iii) निर्यात क्रेडिट (iv) शिक्षा (v) हाउसिंग (vi) सामाजिक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊर्जा (viii) अन्य । अत: एमएसएमई क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत आता है। आरबीआई के अनुसार, एमएसएमई की परिभाषा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर भारत सरकार (जीओआई) के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 जिसे परिपत्र आरबीआई/2020-21/10 एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के साथ पढ़ा जाए जिसे एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी. सं.4/06.02.31/2020-21 क्रमश: दिनांक 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 के साथ पढ़ा जाए और जिसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, ऐसे एमएसएमई उद्योग की पहली अनुसूचि (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन में लगा हुआ हो अथवा किसी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने में लगा हुआ हो।

एमएसएमई को सभी बैंक ऋण, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए योग्य हैं।

---------000--------